2003/00006

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
76/2003	16.7.2003	30.5.2017

1. मंगली बेवा स्व0 परमानंद, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
2. श्यामलाल पुत्र परमानंद, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
3. कमलेश उर्फ होलू पुत्र ग्यारस्या, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी
4. रघुनाथ उर्फ मुकना पुत्र ग्यारस्या, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुरसिटी
5. मुकेश पुत्र ग्यारस्या, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
6. मु0 काडी बेवा ग्यारस्या, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
7. मु0 कडी बेवा स्व0 मोती, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी

---वादीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र घूडया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
2. रूपचन्द पुत्र घूडया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
3. बुद्धा पुत्र घूडया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
4. मु0धापा बेवा स्व0घूडया, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
5. पानवाई पत्नि गिर्राज, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
6. रमेश पुत्र बंशी, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी सांसोली तहसील बामनवास
7. मूली बेवा स्व0 बंशी, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी सांसोली तहसील बामनवा
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण ने इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारान का बुजुर्ग हरिकिशन था। हरिकिशन के 5 पुत्र भौरया, कान्या, चतरू, किलाणा, ऊंकारया हुए । इनमें से 3 पुत्र चतरू, किलाणा, ऊंकारया अविवाहित रहे एवं लाऔलाद फौत हो गए केवल भौरया व काना का ही आगे बंश चला। चतरू, कल्याण, ऊंकारया अविवाहित होने से उन्होने किसी को गोद भी नहीं लिया । इस प्रकार हरिकिशन की सम्पत्ति में भोरया के वारिस 1/2 हिस्से व कान्या के वारिस 1/2 हिस्से के काबिज हकदार रहे। हरिकिशन की खातेदारी में चकबंदी सं0 1991 लगायत 2000 में भूमि ख0नं0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

94, 96, 196/1, 22, 260, 281, 282, 283, 344, 383, 386 कुल रकबा 16 बीघा 178 विस्वा था जो हरिकिशन की मृत्यु उपरान्त सं0 2003 की बीस साला पैमाइश में उसके वारिसों पांचो पुत्रो के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिसके ख0नं0 96, 98, 197, 224, 335, 373, 138, 139, 226, 227, 236, 142, 382 कुल किता 13 कुल रकबा 18 बीघा 13 विस्वा थे। बीस साला चकबंदी के बाद चतरू, कल्याणा व ऊंकारया फौत हो गए तथा ऊपर बताई गई भूमि का बंटवारा भौरया व कान्या ने बराबर हिस्सा अनुसार सं0 2012 से पूर्व ही कर लिया जिसका इन्द्राज जमाबंदी सं0 2013 लगायत 2016 में दर्ज है लेकिन बदयान्ति छल कपट से प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी सं0 4 के पति घूडया ने जरिए नामान्तरकरण सं0 7 तस्दीक दिनांक 19.5.57 अपना नाम ऊंकारया की जगह बतौर दत्तक पुत्र दर्ज करवा लिया जबकि ऊंकारया ने उसे कभी भी गोद नहीं लिया न कभी उसका कब्जा रहा। घूडया को उसके पिता कान्या ने कभी गोद भी नहीं दिया। घूडया बतौर वारिस कान्या ही हकदार रहा। कान्या के मरने पर जरिए नामान्तरकरण सं0 24 तस्दीक दिनांक 13.6.70 कान्या के तीनों पुत्र ग्यारस्या, मोती, घूडया के नाम विवादित भूमि की विरासत स्वीकार की गई। इससे स्पष्ट है कि घूडया दत्तक पुत्र ऊंकारया का इन्द्राज हिस्सा 1/5 स्पष्टतः अवैधानिक व गलत है एवं नामान्तरकरण सं0 7 तस्दीक दिनांक 19.5.57 नल एण्ड वोइड है क्योंकि नामान्तरकरण सं0 24 में विरासत अपने पिता की घूडया पुत्र कान्या दर्ज हुई है। एकीकरण के दौरान पक्षकारों की पुरानी खातेदारी के नवीन ख0नं0 81 रकबा 2 विस्वा चाह, 84 रकबा 16 बीघा 12 विस्वा, 65 रकबा 3 विस्वा चाह, 66 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, 136 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 22 बीघा 17 विस्वा कायम किया गया। वर्तमान सेटिलमेंट सं0 2039 में उक्त आराजी के नवीन ख0नं0 160, 161, 170, 171, 194 लगायत 197, 203, 204, 205, 209 लगायत 213, 215 लगायत 220, 448, 449, 219/473 कुल किता 25 कुल रकबा 5.69 हैक्टर कायम हुए हैं। सजरा अनुसार हरकिशन की उक्त कुल भूमि में से भोरया के वारिस वादी सं0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 6 व 7 हिस्सा 3/6 के हकदार हैं तथा कान्या के वारिस कान्या के 3/6 हिस्सा में से वादी सं0 3 लगायत 6 का हिस्सा 1/6, वादी सं0 7 का हिस्सा 1/6 है तथा शेष 1/6 हिस्से के हकदार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 हैं। मौके पर बंटवारे अनुसार पक्षकारों ने अपने अपने हिस्से इसी अनुसार बांट रखे हैं। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 घूडया के वारिसान का हिस्सा 1/6 अनुसार कुल भूमि 5.69 हैक्टर में 95 एयर बनता है लेकिन प्रतिवादी सं0 1

लगायत 4 वादिया सं0 7 की भूमि को उसके बेवा होने व साथ में कोई आदमी नहीं होने से हडपना चाहते हैं। घूडया का नाम,घूडया पुत्र ऊंकारया हिस्सा 1/5 एकीकरण में गलत नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 19.5.57 के आधार पर दर्ज हुआ हैं। यह नामान्तरकरण पक्षकारों को नोटिस दिए बिना, बिना प्रमाण पत्र, बिना आदेश, बिना जांच पोशीदा तरीके से गलत खोला गया तथा नामान्तरकरण की पुश्त पर हिस्सेदारान अथवा किसी की भी तस्दीक के हस्ताक्षर/निशानी नहीं है तथा उक्त गलत इन्द्राज से घूडया को दत्तक पुत्र ऊंकारया नहीं माना जा सकता नही उसका ऊंकारया के वारिस के रूप में हिस्सा 1/5 माना जा सकता है बल्कि उक्त इन्द्राज बमुकाबले वादीगण वोइड हैं। कान्या की विरासत का नामान्तरकरण सं0 24 तढीक दिनांक 13.6.70 से स्पष्ट है कि कान्या की विरासत में बतौर पुत्र घूडया का नाम दर्ज है। दूसरी तरफ घूडया को पुत्र ऊंकारया भी गलत दर्ज कर हिस्सा दिखा रखा है। इससे स्पष्ट है कि घूडया कभी किसी के गोद नहीं गया बल्कि अपने पिता कान्या की विरासत उसने प्राप्त की है। जमाबंदी सं0 2022 लगायत 2025 के इन्द्राज जिसमें नामान्तरकरण सं0 24 तस्दीक दिनांक 13.6.70 का हवाला दिया है उसमें ग्यारसा, मोती घूडया पिसरान कान्या दर्ज है जबकि इसके विपरीत जमाबंदी सं0 2026 लगायत 2029 में ग्यारस्या, मोती, घूडया तीनों खास भाई हैं व कान्या के लडके हैं और उक्त गलत इन्द्राज बाद में रिपीट होता चला आ रहा है। वर्तमान जमाबंदी सं0 2057 लगायत 2060 में ग्यारसा पुत्र घूडया का नाम व उसका हिस्सा गलत दर्ज है। ग्यारसा व घूडया खास भाई थे,इनको पिता पुत्र जमाबंदी में गलत लिखा है। घूडया के वारिस प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 हैं। ग्यारसा के वारिस वादी सं0 3 लगायत 6 हैं। कल्याण पुत्र हरकिशन हिस्सा 2/5 गलत है, कल्याण फौत हो चुका है। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज हो रहे हैं जिनको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। मृतक घूडया बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति था एवं रूपचन्द को भी विवादित भूमि में विरासत अपने पिता घूडया की अपने भाईयों के साथ प्राप्त हुई है एवं वह काबिज है लेकिन बहुत गलत तथ्यों के साथ रूपचन्द ने मोती पुत्र कान्या की बेवा वारिया सं0 7 कडी की भूमि छीनने की गरज से एक दावा माननीय अदालत में अपने को मोती का दत्तक पुत्र बताकर पेश किया है एवं मौके पर भूमि छीनने का प्रयास कर रहा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार कुल भूमि 5.69 हैक्टर में से राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 मिलकर (भोरया के वारिस) हिस्सा 3/6 तथा वादी सं0 3 लगायत 5 का हिस्सा

1/6, वादी सं0 7 का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/6 दुरूस्त किए जाने योग्य है साथ ही ग्यारसा पुत्र घूडया का नाम व इन्द्राज हटाए जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर नामान्तरकरण सं0 7 तस्दीक दिनांक 19.5.57 को नल एण्ड वोइड घोषित करते हुए आराजी ख0नं0 160, 161, 170, 171, 194 लगायत 197, 203, 204, 205, 209 लगायत 213, 215 लगायत 220, 448, 449, 219/473 कुल किता 25 कुल रकबा 5.69 हैक्टर ग्राम कोटडी तहसील गंगापुर सिटी का वादी सं0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 6 व 7 मिलकर हिस्सा 3/6, वादी सं0 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/6, वादी सं0 7 का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 सलगायत 4 का हिस्सा 1/6 घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार वर्तमान इन्द्राज के स्थान पर दुरूस्ती इन्द्राज किए जाने के आदेश प्रदान करें । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि में उपरोक्त हिस्से अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं एवं भूमि को किसी भी रूप में हस्तान्तरण नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि पक्षकारान का बुजुर्ग हरिकिशन रहा है। सजने में ऊंकारया का लाऔलाद फौत होना गलत लिखा है। ऊंकारया ने घूडया को जाति रस्म रिवाज के अनुसार गोद लिया। घूडया कान्या का लडका था। ऊंकारया के गोद जाने के बाद घूडया ऊंकारया के साथ रहने लग गया। ऊंकारया के मरने के बाद उसके हिस्से की जमीन का अधिकार घूडया हुआ व कान्या के हिस्से की जमीन के हकदार ग्यारस्या व मोती हुए। कल्याण लाऔलाद फौत नहीं हुआ उसका लडका गिर्राज मौजूद है जो ग्राम परदोनपुरा तहसील सपोटरा में रहता है। गिर्राज पुत्र कल्याण के हिस्से की जमीन को गिर्राज, बुद्धा पुत्र घूडया काश्त कर रहे हैं। चतरू लाऔलाद फौत हो गया। घूडया के 3 पुत्र गिर्राज, रूपचन्द, मोती हुए। जिनमें से मोती फौत हो चुका है। मोती ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नि कडी की सहमति से रूपचंद को घूडया की पत्नि धापा से गोद ले लिया। ऊंकारया के मरने के बाद घूडया के नाम सही तौर से नामान्तरकरण खुला है। भूमि मुतदाविया में भोरया के वारिसान वादी सं0 1, 2 तथा प्रतिवादी सं0 6 व 7 का हिस्सा केवल 1/5 है। कान्या के हिस्से

के मालिक ग्यारसा व मोती हुए। ग्यारसा के वारिसान उसके पुत्र कमलेश, रघुनाथ, मुकेश व काडी वादी सं0 3 लगायत 6 हैं तथा मोती के वारिस उसकी पत्नि कडी वादी संख्या 7 व दत्तक पुत्र रूपचंद प्रतिवादी सं0 2 है। वादीगण ने दावे में कल्याण के वारिस गिर्राज को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए दावा नोनजोइन्डर आफ पार्टीज की कमी के कारण खारिज होने योग्य है। घूडया के वारिस प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 हैं। प्रतिवादी सं0 2 मृतक मोती का वारिस वादी सं0 7 के साथ मोती के हिस्से 1/5 में 1/2 का अर्थात 1/10 हिस्से का मालिक है। किसी लिपिकीय गलत इन्द्राज होने से विरासत पर कोई फर्क नहीं पडता है यह इसी बात से स्पष्ट है कि ग्यारस्या, मोती दोनों कान्या के पुत्र हैं, घूडया के नहीं। घूडया तो ग्यारस्या व मोती का भाई था जो ऊंकारया के गोद चला गया। मोती ने रूपचंद को गोद लिया था परन्तु नामान्तरकरण में केवल मु0 कडी का ही नाम आया इसलिए रूपचंद को दावा घोषणां खातेदारी करना आवश्यक हुआ। रूपचंद अपने हिस्से अनुसार भूमि काश्त कर रहा है। वादीगण सन् 1957, 1970 में हुए नामान्तरकरण की दुरूस्ती अब करवाना चाहते हैं। दावा अन्दर मियाद नहीं है, मियाद बाहर है इस कारण काबिज खारिज है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

इसके बाद प्रतिवादीगण व उनके वकील उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2013 से 2017, फोटोकोपी नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2003 लगायत 2022, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2022 से 2025, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2026 से 2029, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2057 से 2060, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्र भूमि एकीकरण, फोटोकोपी रजिस्टर चकबंदी, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण सं0 7 दिनांक 19.5.57, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण सं0 24 दिनांक 13.6.70, फोटोकोपी नकल बयान कडी बेवा मोती पी0डब्लू0 1, फोटोकोपी नकल बयान श्रीनारायण पुत्र फैलू मीना कोटडी पी0डब्लू0 2, फोटोकोपी नकल बयान कमलेश पुत्र ग्यारस्या मीना कोटडी पी0डब्लू0 3 पेश किए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए हैं।

पत्रावली दिनांक 30.5.2017 को राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प तलावडा पर रखी गई। वादीगण के वकील एवं वादिया मु0 काडी

पेश हुई। इनको सुना गया। वादिया मु0 काडी के बयान पुनः लेखबद्ध किए गए।

वादीगण के वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादपत्र में वादीगण ने मुख्य रूप से नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 19.5.57 एवं नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 13.6.70 को लेकर आपत्ती की है एवं इन दोनों नामान्तरकरणों को गलत व आधारहीन बताया है तथा इनके आधार पर ही वर्तमान राजस्व अभिलेख में भूमि के इन्द्राज गलत दर्ज हो रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों का बुजुर्ग हरिकिशन रहा है। हरिकिशन की विरासत उसके 5 पुत्रों भोरया, कान्या, चतरू, किलाणा, ऊंकारया के नाम दर्ज हुई इस तथ्य को दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं। वादीगण ने इनमें से चतरू, किलाणा, ऊंकारया का अविवाहित एवं लाऔलाद फौत होना बताया है। वादीगण के इस कथन की पुष्टि वादिया के, गवाह कमलेश व श्रीनारायण के बयानों से भी होती है। नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 19.5.57 के अवलोकन से विदित है कि इस नामान्तरकरण में घूडया को ऊंकार का पिसर मुतवन्ना बताया गया है परन्तु इसका कोई दस्तावेज है इसका उल्लेख इस नामान्तरकरण पर पटवारी, गिरदावर द्वारा नहीं किया गया है। नामान्तरकरण तस्दीककर्ता अधिकारी ने भी दत्तक पुत्र सम्बन्धी कोई दस्तावेज होने का जिक्र अपनी तस्दीक इबारत में नहीं किया गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि यह नामान्तरकरण बिना किसी वैद्य दस्तावेज के खोला गया है एवं तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 13.6.70 के अवलोकन से विदित है कि इस नामान्तरकरण में ग्यारसा, मोती को घूडया का पुत्र दर्शाया गया है जबकि ग्यारसा, मोती, घूडया तीनों भाई हैं इस प्रकार यह नामान्तरकरण भी प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होता है। वादीगण ने अपने वादपत्र में एक तथ्य यह भी अंकित किया है कि रूपचंद अपने अपको मृतक मोती का दत्तक पुत्र बताता है जो गलत है क्योंकि मु0 कडी वादिया मृतक मोती की पत्नि है जो अभी जीवित है एवं यह रूपचंद को गोद लेने से मना करती है। मोती द्वारा रूपचंद को गोद लेने सम्बन्धी कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारों के बुजुर्ग हरकिशन की प्रमाणित होने के कारण,

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

घूडया का ऊंकार के यहां गोद जाना प्रमाणित नहीं होने के कारण वादीगण का दावा डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 160, 161, 170, 171, 194 लगायत 197, 203, 204, 205, 209 लगायत 213, 215 लगायत 220, 448, 449, 219/473 कुल किता 25 कुल रकबा 5.69 हैक्टर ग्राम कोटडी में वादी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 6 व 7 को मिलकर 3/6 हिस्से का, वादी सं0 3 लगायत 6 को 1/6 हिस्से का, वादी सं0 7 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त निरस्त किए जाकर उपरोक्तानुसार भूमि खातेदारों के नाम दर्ज की जावे व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। भूमि के रहन सम्बन्धी इन्द्राज सम्बन्धित खातेदार के नाम यथावत रखे जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)